



सोनभद्र पुलिस



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 24.09.2026

- "ऑपरेशन शुद्धि" के तहत थाना चोपन पुलिस की बड़ी कार्रवाई-
- हेरोइन तस्करी के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार-
- 49.20 ग्राम अवैध हेरोइन एवं मोबाइल फोन बरामद-
- अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में "ऑपरेशन शुद्धि" के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन श्री ऋषभ रुणवाल, अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुश्री मेविस टॉक एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना चोपन पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना चोपन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मो० अफजाल को डाला चढ़ाई पर अल्ट्राटेक पार्किंग के पास से दिनांक 24.09.2026 को समय लगभग 05:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 49.20 ग्राम अवैध हेरोइन एवं 01 मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण व कृत कार्यवाही-

दिनांक 24.09.2026 को थाना चोपन पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मु०अ०सं० 319/2026 धारा 8/21/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 111(2)बी, 111(4) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अफजाल पुत्र मो० इकबाल, निवासी टिकरा उस्मान, थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी के हेरोइन लेकर ट्रेन के माध्यम से सोनभद्र आने की सूचना प्राप्त हुई।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते हुए उसका पीछा किया गया। डाला चढ़ाई स्थित अल्ट्राटेक पार्किंग के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर झाड़ियों की ओर छिपने/भागने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मो० अफजाल पुत्र मो० इकबाल, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी टिकरा उस्मान, थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी बताया तथा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन तथा 49.20 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुआ।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना चोपन पर मु०अ०सं० 373/2026, धारा 8/21/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह पूर्व से हेरोइन की सप्लाई का कार्य करता है तथा सोनभद्र के कुछ व्यक्तियों को हेरोइन की सप्लाई करने के लिए आया था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह मणिपुर से कच्चा माल ले आकर अपने यहां उसको बनाता है तथा कमी होने पर स्थानीय स्तर पर भी मादक पदार्थ प्राप्त करके सप्लाई करता है।

पूछताछ में प्रकाश में आए तथ्यों एवं अभियुक्त द्वारा बताए गए अन्य व्यक्तियों की भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो० अफजाल पुत्र मो० इकबाल, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी टिकरा उस्मान, थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी।

बरामदगी का विवरण—

- 49.20 ग्राम अवैध हेरोइन।
- 01 अदद स्क्रीनटच ओप्पो मोबाइल फोन।

(कुल अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

1. मु०अ०सं० 319/2026, धारा 8/21/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 111(2)बी, 111(4) बीएनएस, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
2. मु०अ०सं० 755/2010, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना सफदरगंज, जनपद बाराबंकी।
3. मु०अ०सं० 137/2005, धारा 223, 224, 215, 120(बी) भादवि, थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी।
4. मु०अ०सं० 168/2005, धारा 307 भादवि, थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी।
5. मु०अ०सं० 365/2008, धारा 323, 504, 506 भादवि थाना सतरीखा जनपद बाराबंकी।
6. मु०अ०सं० 25/2018, धारा 307 भादवि, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या।
7. मु०अ०सं० 26/2018, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या।
8. मु०अ०सं० 30/2018, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या।

थाना चोपन, जनपद सोनभद्र पर पंजीकृत मु०अ०सं० 319/2026 में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण एवं आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त का नाम:- सुधीर कुमार उर्फ छोटू पुत्र देवनाथ चन्द्रवंशी निवासी डाला चड़ाई थाना चोपन जनपद सोनभद्र उम्र करीब 36 वर्ष।

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	पुलिस थाना	जिला
01	141/2014	147,323,504,506 भादवि	चोपन	सोनभद्र
02	076/2017	8/21 NDPS Act	पिपरी	सोनभद्र
03	237/2017	8/21 NDPS Act	चोपन	सोनभद्र
04	075/2018	8/21 NDPS Act	चोपन	सोनभद्र
05	208/2019	8/21 NDPS Act	चोपन	सोनभद्र
06	319/26	8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111(2)(B),111(4)BNS	चोपन	सोनभद्र

2. अभियुक्त का नाम:- धर्मवीर पुत्र देवनाथ चन्द्रवंशी निवासी डाला चड़ाई थाना चोपन जनपद सोनभद्र उम्र करीब 29 वर्ष ।

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	पुलिस थाना	जिला
01	090/25	115(2),117(2),351(3),352 बीएनएस	बभनी	सोनभद्र
02	319/26	8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111(2)(B),111(4)BNS	चोपन	सोनभद्र
03	319/26	8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111(2)(B),111(4)BNS	चोपन	सोनभद्र

3. अभियुक्त का नाम:- सूरज उर्फ अभिषेक पुत्र सुरेश कुमार चन्द्रवंशी निवासी डाला चड़ाई थाना चोपन जनपद सोनभद्र उम्र करीब 26 वर्ष ।

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	पुलिस थाना	जिला
01	162/19	8/21 एनडीपीएस एक्ट	चोपन	सोनभद्र
02	168/21	8/21 एनडीपीएस एक्ट	चोपन	सोनभद्र
03	321/21	8/21 एनडीपीएस एक्ट	चोपन	सोनभद्र
04	136/23	8/20 एनडीपीएस एक्ट	चोपन	सोनभद्र
05	031/24	8/20 एनडीपीएस एक्ट	अनपरा	सोनभद्र
06	085/24	3(1) उ०प्र० गैंगे० एक्ट	अनपरा	सोनभद्र
07	319/26	8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111(2)(B),111(4)BNS	चोपन	सोनभद्र

4. अभियुक्त का नाम:- जितेन्द्र कुमार पुत्र रामदास गौड़ निवासी चूड़ी गली डाला थाना चोपन जनपद सोनभद्र उम्र करीब 24 वर्ष ।

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	पुलिस थाना	जिला
01	04/2018	380,411,457 भादवि	चोपन	सोनभद्र
02	025/2019	323,504,506 भादवि	चोपन	सोनभद्र
03	319/26	8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111(2)(B),111(4)BNS	चोपन	सोनभद्र

05. अभियुक्त का नाम:- दीपक साहू पुत्र मुन्ना लाल साहू निवासी वार्ड नं०-8 पूर्वी परासी अनपरा थाना अनपरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 30 वर्ष ।

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	पुलिस थाना	जिला
01	119/2020	3/25 आर्म्स एक्ट	अनपरा	सोनभद्र
02	319/26	8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111(2)(B),111(4)BNS	चोपन	सोनभद्र

06. अभियुक्त का नाम:- हाशिम उर्फ चिककी पुत्र अनवर राईन निवासी चुड़ी गली डाला थाना चोपन,सोनभद्र उम्र करीब 30 वर्ष ।

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	पुलिस थाना	जिला
01	056/2020	188,269,270 भादवि व 3 महामारी अधिनियम 1897	दुद्धी	सोनभद्र
02	319/26	8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111(2)(B),111(4)BNS	चोपन	सोनभद्र

07. अभियुक्त का नाम:- अकरम कुरैशी पुत्र नसीम कुरैशी चिल्काटाड़ मार्केट थाना शक्तिनगर,सोनभद्र उम्र करीब 29 वर्ष ।

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	पुलिस थाना	जिला
01	101/2023	8/20 एनडीपीएस एक्ट	शक्तिनगर	सोनभद्र
02	072/2024	8/21/29 एनडीपीएस एक्ट	ओबरा	सोनभद्र
03	319/26	8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111(2)(B),111(4)BNS	चोपन	सोनभद्र

08. अभियुक्त का नाम:- सुनीता देवी पत्नी सुधीर कुमार निवासी डाला चड़ाई थाना चोपन, सोनभद्र उम्र करीब 32 वर्ष

।

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	पुलिस थाना	जिला
01	127/2018	8/21 एनडीपीएस एक्ट	चोपन	सोनभद्र
02	319/26	8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111(2)(B), 111(4)BNS	चोपन	सोनभद्र

09. अभियुक्त का नाम:- शेरु उर्फ असलम हुसैन पुत्र मुबारक हुसैन निवासी सलखन मुनगा टोला थाना चोपन, सोनभद्र उम्र करीब 36 वर्ष ।

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	पुलिस थाना	जिला
01	055/2018	8/20 एनडीपीएस एक्ट	अनपरा	सोनभद्र
02	355/2026	8/20 एनडीपीएस एक्ट	चोपन	सोनभद्र
03	319/26	8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111(2)(B), 111(4)BNS	चोपन	सोनभद्र

10. अभियुक्त का नाम:- अफजाल पुत्र मो० इकबाल निवासी टिकरा उस्मान थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 40 वर्ष ।

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	पुलिस थाना	जिला
01	319/26	8/21/27(a)/29/60 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111(2)(B), 111(4)BNS	चोपन	सोनभद्र
02	373/2026	8/21/27a/29 एनडीपीएस एक्ट	चोपन	सोनभद्र
गैरजनपद की जानकारी की जा रही है ।				

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. प्र०नि० श्री गोपालजी गुप्ता, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
2. उ०नि० घनश्याम तिवारी, चौकी प्रभारी डाला, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
3. उ०नि० आशीष पटेल, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
4. हे०का० पप्पू यादव, हे०का० रजवान यादव, हे०का० वीरेन्द्र सरोज, हे०का० राजेश यादव, हे०का० शिवशरण बिन्द, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
5. का० मन्टू सिंह, का० गोविन्द कुमार, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।